

आयालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मुंनं 14/16 तारीख रजु 11-7-16

उनवान - इन्द्राज बनाम बेता रूथा वजे
कमालपुरा

पार्थना पत्र (श्रीच) आदेश उल्लंघन

पार्थी की ओर से रामभरोसी गुप्ता Adv. ने पार्थना पत्र आदेश उल्लंघन (श्रीच) पेश किया शिपय पत्र व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अपार्षीगण को जोरिये जोटिस से तलब किया जाकर दिनांक 18-7-16 को पेश है।

1545-49
12-7-16


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

18-7-16

पार्थी वकील उपन। अपार्षीगण की ओर से श्री सुनील कुमार जित्त Adv. ने वकालतनामा पेश किया। वास्ते जबाब दिनांक 29-7-16 को पेश है।

29-7-16

वकलाय उपन। जबाब पेश कोन समय-याह। वास्ते जबाब दिनांक 11-8-16 को पेश है।

11-8-16

वकलाय उपन। वास्ते जबाब दिनांक 22-8-16 को पेश है।

11-8-16

वकलाय उपन। गताचसा कि 26-8-16 को पेश है।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

2-18

बकुलाय उपस्थित/पीठसब अधिकारी अन्याय
पर है। अतः पत्रावली बलाबुसार
दिनांक 22-1-19 को पेश हो।

10

बकुलाय उपस्थित/पीठसब अधिकारी अन्याय
में व्यक्त है। अतः पत्रावली बलाबुसार
दिनांक 20/2/19 को पेश हो।

2

पत्रावली पेश हुई। बार की पेश में साथ बकुलाय
रुद्रा नाम है। पीठसब अ अन्याय
है। बलाबुसार दिनांक 22-3-19 को पेश हो।

27-3-19

बकुलाय उप) प्रार्थी वकील को रिदाफत की जाती है कि
डागासी सुनवाई तिथी याद रख आवरणक रूपसे पेश करें।
दिनांक 15-5-19 को पेश हो।

15-5-19

बकुलाय उपस्थित/पीठसब अधिकारी अन्याय
जपपुर पधार है। अतः पत्रावली बलाबुसार
दिनांक 22-6-19 को पेश हो।

20-6-19

बकुलाय उपस्थित/पीठसब अधिकारी अन्याय
पधार है। अतः पत्रावली बलाबुसार
दिनांक 23-7-19 को पेश हो।

23-7-19

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं है।
कई बार आवाज दिलवाई गई, फिर भी प्रार्थी एवं प्रार्थी
वकील में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह प्रार्थनी
पत्र बीच अदम राजिरी अदम पैखी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से का
होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।